(घ) क्या सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इससे किसान अपनी भूमि से बेदखल हो जाएंगे, इन गांवों का अधिग्रहण करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का विचार रखती है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) इलाहाबाद स्थित उस रक्षा भूमि के बदले में भूमि अर्जित करने का एक प्रस्ताव है जो राज्य सरकार को अंतरित की जानी है। इलाहाबाद जिले के करछाना तहसील में 14 गांवों की भूमि को अर्जित करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

Fibres of biogenic silica in sugar-cane

3081. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that asbestos-like fibres of biogenic silica have been detected in sugar-cane;

(b) whether Mesothemlicoma, a fatal lung disease normally found in asbestos workers had also been diagnosed in India Sugar-cane workers not exposed to asbestos;

(c) whether a study in Australia had also related leukemia in sugar-cane growing areas; and

(d) whether ITRC Lucknow or NIOH, Ahmedabad had undertaken any such studies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) Asbestos fibres are of mineral origin and sugar-cane fibres are of vegetable origin. Therefore, Asbestos-like fibres should not be found with sugar-cane fibres unless it is contaminated.

(b) Yes, Mesothelioma has been recorded in those farming sugar-cane in India.

(c) The Government have no information.

(d) No, Sir.

निर्वाचन आयोग का प्रस्ताव

3082. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि निर्वाचन के समय वित्तीय लाभों संबंधी घोषणा करना अथवा कोई आश्वासन देना भ्रष्ट आचरण के समतुल्य है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी प्रस्ताव में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन कराये जाने का विचार होता है, उनका मंत्रियों द्वारा सरकारी वाहनों से किये जाने वाले दौरों को भी एक भ्रष्ट आचरण के रूप में सम्मिलित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने हाल में ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। वास्तव में सभी राजनैतिक दलों के परामर्श से निर्वाचन-आयोग द्वारा राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए तैयार की गई आदर्श आचार संहिता के उपबंधों के अनुसार ये मदें, अर्थात्, किसी भी रूप में वित्तीय अनुदानों की घोषणा करना या उसके लिए वचन देना और मंत्रियों द्वारा निर्वाचन-प्रचार-कार्य को अपने आसकीय दौरों के साथ जोड़ना, अनुज्ञात नहीं है। राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों